उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय लखनऊ।

पत्रांक 38001-04/वसूली /17–18 दिनांक 1.04.2017

समस्त शाखा प्रबन्धक,
उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

कृपया बैंक मुख्यालय के पत्रांक 43103–07/वसूली/2016–17 दिनांक 15.02.17 के कम में मुख्यालय को एक लाख से बड़े बकायेदारों से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप पर प्रेषित की गई सूचनाओं का सन्दर्भ ग्रहण करें।

प्रश्नगत प्रकरण में मुख्यालय स्तर पर सूचनाओं का संकलन किए जाने के उपरान्त यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रदेश में लगभग **103209** (अनन्तिम) सदस्य एक लाख से अधिक की धनराशि के बड़े बकायेदार हैं जिन पर बैंक का कुल लगभग रू0 **2023.00** करोड़ (अनन्तिम) की धनराशि लगी हुई है।

उक्त आंकड़ों के अवलोकन से यह विदित होता है कि शाखा स्तर पर एक लाख से बड़े बकायेदारों के विरूद्ध तकाजा करने अथवा सुसंगत नियमों के अन्तर्गत उनके विरूद्ध कार्यवाही करते हुए वसूली के ठोस प्रयास नहीं किए गए हैं, जिसका विपरीत प्रभाव बैंक की वित्तीय स्थिति पर पड़ा है और दिन प्रतिदिन बैंक की वसूली में ऋणात्मक वृद्धि हो रही है। यह स्थिति अत्यन्त आपत्तिजनक है।

अतः सम्यक विचारोपरान्त रू0 एक लाख से अधिक बड़े बकायेदारों से वसूली हेतु निम्न प्रकिया निर्धारित की जाती है:–

1– शाखा प्रबन्धक यह सुनिश्चित करेंगे कि शाखा के समस्त रूपये एक लाख से बड़े बकायेदारों का आच्छादन एलडीबी एक्ट एवं यथा आवश्यकतानुसार उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 तथा उसके साथ पठित नियमावली 1968 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत तत्काल पूर्ण कर लिया जाय।

2– शाखा के सबसे बड़े **25 प्रतिशत बकायेदारों की वसूली का दायित्व शाखा प्रबन्धक का होगा।**

3– शेष **50 प्रतिशत बड़े बकायेदारों की वसूली फील्ड आफिसर एवं सहायक फील्ड आफिसर** द्वारा की जाएगी और ऐसे बकायेदारों का आवंटन उक्त कार्मिकों

के मध्य करने हेतु शाखा प्रबन्धक अधिकृत होंगे और वसूली न होने की दशा में उक्त कार्मिकों का दायित्व निर्धारित किया जाएगा।

4— **अवशेष 25 प्रतिशत बकायेदारों की वसूली शाखा में कार्यरत अन्य सहायक आंकिक एवं आंकिक** द्वारा की जाएगी और उनके मध्य भी बकायेदारों का आवंटन करने हेतु शाखा प्रबन्धक अधिकृत होंगे। इन कर्मचारियों द्वारा भी सम्बन्धित वसूली का कार्य सम्पादित न करने की स्थिति में उनका दायित्व निर्धारित किया जाएगा।

5— शाखा प्रबन्धक अपने स्तर पर यह सुनिश्चित करेंगे कि शाखा पर अधिकतम एक आंकिक एवं एक सहायक आंकिक/कैशियर प्रतिदिन शाखा के दैनिक कार्यों हेतु शाखा पर उपलब्ध रहेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य कोई कार्मिक शाखा पर उपस्थित नहीं रहेंगे, अपितु उनके द्वारा प्रतिदिन वसूली का कार्य किया जायेगा विशेष परिस्थिति में इस व्यवस्था के विचलन का अधिकार मण्डल प्रभारी/जनपद प्रभारी की पूर्व अनुमति से शाखा प्रबन्धक को होगा।

कृपया उक्त निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएं।

01.04.17

(श्रीकान्त गोस्वामी)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1— समस्त जनपद/मण्डल पर्यवेक्षक उ0प्र0सह0ग्राम विकास बैंक, को इस निर्देश के साथ कि प्रदेश के एक लाख से बडे बकायेदारों के विरूद्ध विशेष अभियान चलाकर अपने पर्यवेक्षणाधीन जनपद/मण्डल में वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित कराएं और समय—समय पर शाखाओं से उक्त बकायेदारों से वसूली की समीक्षा गम्भीरतापूर्वक करें और कृत कार्यवाही से मुख्यालय को अवगत कराते रहें।

2— मुख्य महाप्रबन्धक(प्रशासन/वसूली) प्र0का0लखनऊ, को सूचनार्थ।

3— उप महाप्रबन्धक(आई0टी0सेल)को बैंक की बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(ए0के0शुक्ला)
महाप्रबन्धक

Bank information u/ Sending mail to
Secy. Rec. Send to branch के अ्य All B.M. 01.4.17 to
मान के file में,